# राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

'किसान मण्डी भवन', विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक– उ0नि0(नि0)मु0/अनु0/2009– 632 दिनांक 26-08-2009

## कार्यालय ज्ञाप

निदेशक महोदय के अनुमोदन दिनांकः 13.8.2009 के कम में पूर्व निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से परिषद/कार्यहित में मण्डी परिषद आवासीय कालोनी स्थित अतिथिगृह के कक्षों/सामुदायिक केन्द्र, क्लब हाल एवं लान का आरक्षण शुल्क निम्नवत् किया जाता हैः–

तालिका –1

(अतिथिगृह के कक्षों के आरक्षण हेतु किराया/ आरक्षण शुल्क का विवरण)

| कं0 | विवरण | अतिविशिष्टि कक्ष वातानुकूलित | विशिष्टि कक्ष (वातानुकूलित) (भूतल) | सामान्य कक्ष वातानूकूलित (प्रथम तल) | सामान्य कक्ष गैर वातानूकूलित |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | उ0प्र0 शासन एवं मण्डी परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु। | निदेशक/मा0 अध्यक्ष, मण्डी परिषद हेतु आरक्षित | 500.00 | 400.00 | 200.00 |
| 2. | बाहरी व्यक्तियों हेतु | – | 1000.00 | 800.00 | 400.00 |

तालिका –2

(कम्यूनिटी सेन्टर, क्लब एवं लान के आरक्षण हेतु प्रस्तावित किराया/अनुरक्षण शुल्क प्रतिदिन)

| कं0 | विवरण | कम्यूनिटी सेन्टर लान सहित | कम्यूनिटी सेन्टर क्लब एवं लान सहित |
|---|---|---|---|
| 1. | मण्डी परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ( जो परिवार की परिभाषा में आते हों) | रू0 2500.00 प्रतिदिन | रू0 3,000.00 प्रतिदिन |
| 2. | बाहरी व्यक्तियों हेतु | रू025,000.00 प्रतिदिन | रू0 30,000.00 प्रतिदिन |

उपरोक्त तालिका 1 एवं 2 के कमांक 1 में मण्डी परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रस्तावित किराया उसी दशा में लागू होगा जब वह अतिथिगृह के कक्षों अथवा कम्यूनिटी

सेन्टर एवं क्लब आदि को स्वयं अथवा पुत्र एवं पुत्री (जो परिवार की परिभाषा के अन्तर्गत आते हों) के जन्मदिन/विवाह समारोह आदि–आदि हेतु ही आवंटन का मांग पत्र प्रस्तुत करेगें तथा साक्ष्य हेतु निमंत्रण पत्र मांग पत्र के साथ प्रस्तुत करेगें।

मण्डी परिषद के अधिकारियों/कर्मचारियों के रिश्तेदारों/अतिथियों (निकट एवं दूर के) हेतु किराया/अनुरक्षण शुल्क की दरें तालिका–1 एवं 2 के कमांक–2 में उल्लिखित दरें ही लागू होंगी।

कम्यूनिटी सेन्टर एवं क्लब आदि के किराये/अनुरक्षण शुल्क में विद्युत खपत व्यय सम्मिलित नहीं है, इसकी व्यवस्था सभी आवंटियों को अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्ते पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रभावी होंगी।

( निखिल चन्द्र शुक्ला)
अपर निदेशक (प्रशासन)

**पृष्ठाकनं संख्या एवं तददिनांक समांक।**

**प्रतिलिपिः**निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव अपर निदेशक (प्र0)/निदेशक को, अपर निदेशक(प्र0)/निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
(2) अधीक्षण अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, लखनऊ।
(3) वरिष्ठ लेखाधिकारी/वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।
(4) उपनिदेशक (प्र0/वि0) मुख्यालय, मण्डी परिषद, लखनऊ।
(5) समस्त उपनिदेशक (प्रशासन/वि0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने सम्भाग की मण्डी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें।
(6) उपनिदेशक( मा0/सर्वे)/विधि/विपणन, मण्डी परिषद, लखनऊ।
(7) समस्त उपनिदेशक (निर्माण/वि0/यां0) मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें।
(8) समस्त अधिकारी/कर्मचारी, मण्डी परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।
(9) कम्प्यूटर प्रोग्रामर, मण्डी परिषद लखनऊ को बेवसाइट पर डालने हेतु।
(10) केयर टेकर अतिथिगृह, मण्डी परिषद, लखनऊ।
(11) नोटिस बोर्ड।

अपर निदेशक (प्रशासन)
१९.०४.०९